P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11* February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

चौरी चौरा विद्रोह की पृष्ठभूमि और सत्याग्रहियों के न्याय के लिए प्रयास

सुधाकर लाल श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
दी0द0उ0गो0 विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी–चौरा विद्रोह भारतीय स्तवत्रंता संग्राम की वह अभूतपूर्व घटना है जिसने गांधी जी द्वारा प्रारम्भ किया गया असहयोग आन्दोलन में क्रान्तिकारी पक्ष को उभारा है, यद्यपि इसके नायकों के विषय में अनेक भ्रांतियां रही है और यह भी सत्य है कि इस विद्रोह में एक से अधिक अगुवा रहे है जैसे नजर अली, लाल मुहम्मद भगवान अहीर, अब्दुल, इन्द्रजीत कोईरी, श्याम सुन्दर आदि। जमीन्दारी उन्मूलन से पूर्व यह क्षेत्र डुमरी के सिख जमीन्दारों के आधिपत्य में था, जिन्होंने रेलवे स्टेशन के निकट एक बाजार की स्थापना कर उसे प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बना दिया था। चमड़े के कारोबार का केन्द्र भोपा बाजार, रेलवे स्टेशन और डाकघर आज भी पुरानी जगह पर ही है, यही नही रेलवे स्टेशन में भी मीटर गेज से ब्राड–गेज में बदलने के अलावा कोई परिवर्तन नही है।

मुख्य शब्द : डुमरी खुर्द, भगवान अहीर, दरोगा गुप्तेश्वर, बाबा राघव दास, टी0सी0 पिगट, अब्दुला, बरहज, मुण्डेरा।

प्रस्तावना

चौरी चौरा के आसपास का इलाका रबी व खरीफ की फसलों के साथ–साथ गन्ने की खेती के लिए भी प्रसिद्ध रहा है यही कारण है कि यहां भारत की पहली यांत्रिक चीनी मिल सरैया में स्थापित हुयी। खेतों पर जमीन्दारों का स्वामित्व होने के कारण किसानों की दशा बेहतर नही थी। किसान खेतों के स्वामी नही बल्कि टेनेन्ट थे, जिन्हे जमीन्दारों को लगान देना होता था। अतः चौरी चौरा विद्रोह के पीछे असली कारण उन्हीं जमीन्दारों द्वारा उत्पीड़न था जो मुख्यतः कांग्रेस के समर्थक तथा आधार स्तम्भ हुआ करते थे। यहा बाजारों का स्वामित्व जागीरों के अन्तर्गत था जिनमें आपसी प्रतिद्वन्द्विता स्वाभाविक थी। भोपा बाजार तथा चौरी चौरा, सरदार जागीर के अंग थे, तो मुंडेरा बाजार विशुनपुरा जागीर के अन्तर्गत था। 1 फरवरी 1922 को विशुनपुरा जागीर के कारिन्दो के उकसावे में आकर, थाना–चौरी चौरा का दरोगा गुप्तेश्वर सिंह अगर भगवान अहीर को पीटने के लिए आगे न आया होता तो सम्भव है यह विद्रोह नही होता। भगवान अहीर चौरा गांव में किसी रिश्तेदार के यहां रहते थे।[1] उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही ब्रिटिश सेना में कुली के पद पर कार्य किया था और प्रथम विश्वयुद्ध को करीब से देखा था।[2] लाल मुहम्मद भी जाने माने पहलवानों में से थे।[3] चौरी चौरा की घटना ने सत्याग्रह आन्दोलन में किसान विद्रोह के क्रान्तिकारी पक्ष को उभारा है।

चौरी चौरा की पृष्ठभूमि में एक ओर 1857 के विद्रोह की ऊर्जा है तो दूसरी ओर जमींदारों के शोषण और ब्रिटिश पुलिस के जुल्मों का जवाब है। अन्याय और अत्याचार की सीमाएं टूट जाने पर ऐसी ही घटनाएं जन्म लेती है। यह घटना पिछड़े, दलित और मुस्लिम किसानों की स्थानीय उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ बगावत थी। 1921 के अन्त में और 1922 के प्रारम्भ में संयुक्त प्रान्त में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी मोती लाल नेहरू को सौपी गयी थी,इसके लिए गोरखपुर में सहजनवां और चौरी चौरा का क्षेत्र चुना गया था। सहजनवां में सत्याग्रह उतना प्रभावी नही हुआ, लेकिन चौरी चौरा में 400 स्वयं सेवकों ने शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना देना शुरू कर दिया। चौरी चौरा की घटना कोई आकस्मिक नही थी, और नही किसी एक विशेष व्यक्ति के दिमाग की उपज थी फिर भी इस काण्ड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ रही है। उस समय पूरा देश महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का पालन कर रहा था। गोरखपुर की धरती को असहयोग आंदोलन में पूरी तरह संलिप्त करने के लिए यहां 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी का पदार्पण काफी महत्वपूर्ण रहा। गोरखपुर के प्रसिद्ध

बालेमियां के मैदान में लाखों व्यक्तियों के समूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील किया था। असहयोग आंदोलन में गोरखपुर के क्षेत्र में आंदोलन को गति प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाबा राघवदास, विध्यवासिनी वर्मा तथा शिवनाथ मुखर्जी थे। मूलतः महाराष्ट्र के निवासी बाबा राघव दास ने बरहज नामक स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाकर आंदोलन को संचालित किया। बाबा राघवदास आंदोलन में इतने समर्पित थे कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का गांधी कहा जाने लगा था। भोजपुरी इलाकों के महत्वपूर्ण केन्द्र में बनारस, छपरा, मोतिहारी, आरा तथा गोरखपुर प्रमुख केन्द्र था। गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा उस समय विदेशी वस्तुओं का प्रमुख बाजार था। इसे बन्द कराने के लिये ही स्वयं सेवक विदेशी कपड़ों की दुकानों तथा शराब की दुकानों पर धरना दे रहे थे। पुलिस स्थानीय जमींदारों की मदद से धरना समाप्त करने के लिए प्रयासरत थी, जिसके कारण जनता में पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था।[4]

गोरखपुर के क्षेत्र में बाबा राघवदास, रघुपतिसहाय, बाबू नर सिंह दास, प्रभात बनर्जी, डा0 विश्वनाथ मुखर्जी भगवती प्रसाद दूबे, गौरी शंकर मिश्रा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, मौलाना सुभाउल्लाह, जैसे नेता इस परिक्षेत्र में सक्रिय थे। चौरी चौरा में इस विद्रोह को उभारने में नजर अली, लाल मुहम्मद प्रमुख भूमिका में थी। इनके साथ भगवान अहीर, अब्दुल्ला, इन्द्रजीत कोइरी तथा सन्यासी और श्याम सुन्दर भी थे, ये लोग निम्न मध्यमवर्गीय समाज के मुखिया थे।[5] असहयोग आंदोलन को जब गैर कानूनी घोषित किया गया तो स्वयं सेवकों का गुस्सा फूटने लगा। इस आक्रोश को रोकने के लिये सबडीविजनल मजिस्ट्रेट बाबू रामस्वरूप द्वारा हाटा तहसील के प्रागंण में जमींदारों, पुलिस के दलालों तथा बड़े व्यापारियों की अमन सभा बुलायी गयी, जिसमें सरकार के प्रति वफादारी के लिये दबाव डाला गया।[6] अमन सभा के विरोध में स्वयं सेवकों ने डेढ़ फलांग दूर डाक बगले के पास समानान्तर सभा किया। इस समय हाटा सभा में चार हजार से ज्यादा की भीड़ थाने और तहसील में विराजमान थी।[7] उसी समय गोरखपुर में तथा उसके आसपास भी ऐसी सभाऐं बुलायी गयी थी। मुंडेरा में एक फरवरी 1922 को भगवान अहीर तथा रामरूप बरई के साथ अनेक स्वयं सेवक निजी काम से मुंडेरा बाजार आये थे, उनकी उपस्थिति से जनता में उत्तेजना बढ रही थी। सरकारी गवाह शिकारी के द्वारा पता चलता है कि बाबू संत बक्श सिंह के कारण ही भगवान अहीर और उनके साथियों को पकड़ कर छावनी में बंद कर उन्हें बेरहमी से पीटा गया।[8] पुलिस दरोगा ने भगवान अहीर को मार–मारकर लहुलुहान कर दिया और बद्री चमार वहां पर शराब बंदी के लिये लोगों से आग्रह करते रहे, उनके इस आग्रह के प्रभाव के कारण शराब की बिक्री प्रभावित हो रही थी। जिसके कारण ठीकेदार ने थाने पर पुलिस से शिकायत की थी, जब निर्दोष भगवान अहीर के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नही हो सकी तब उपनिरीक्षक, गुप्तेश्वर सिंह को भगवान अहीर और उनके साथियों को छोड़ना पड़ा।[9] इस घटना के बाद 4 फरवरी 1922 को डुमरीखुर्द में मंडल कार्यालय के पदाधिकारियों और चौरी चौरा के किसानों ने एक सभा को आयोजन किया। सुबह 08:00 बजे ही स्वयं सेवकों की भीड़ वहां इकठ्ठी होती गयी जिसमें पांच सौ से अधिक स्वयं सेवकों की भीड़ एकत्रित होने लगी, इसी बीच जगत नारायण पाण्डेय और बाबू संत बक्श सिंह तथा शंकर दयाल राय वहां पहुचे। शंकर दयाल ने जब वहां उपस्थित नजर अली से कार्यक्रम जानना चाहा तो नजर अली ने बताया कि हम थाने पर जा रहे है। यह सुनकर जगत नरायण पाण्डेय ने कहा कि गांधी जी के निर्देश के अनुसार हमे शांति पूर्वक ही आंदोलन चलाना है, थाने पर जाने से खून खराबा हो सकता है।[10] स्वयं सेवकों की इस गतिविधियों को डुमरीखुर्द के चौकीदार हरपाल ने थाने पर पहुंचा दिया।[11] सभास्थल पर स्वयं सेवक शालीनता से अपना स्थान ग्रहण कर लिये। इस सभा को लाल मुहम्मद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से कहा कि हम चौरी चौरा थाना चलकर दरोगा से पूछेंगे कि भगवान अहीर और उनके साथियों को क्यों पीटा गया। नजर अली के समर्थन में समर्थकों की भीड़ बढ़ती गयी। भगवान अहीर स्वयं सेवकों को पंक्तिबद्ध करा रहे थे, जिनकी सहायता श्यामसुन्दर, अब्दुल्ला तथा शिकारी कर रहे थे। देवरिया–गोरखपुर मार्ग पर स्वयं सेवकों द्वारा झण्डों के साथ जुलूस आगे बढ़ता गया, जिसमें इनकी संख्या तीन हजार तक पहुंच गयी। धीरे–धीरे यह संख्या बढ़ती गयी जिसमें 400 से ज्यादा लोग गेरूआ वस्त्र पहने हुये थे।[12] जुलूस थाना होते हुये गोरखपुर देवरिया मार्ग पर लाला हलवाई की फैक्ट्री के पास पहुंचा, तभी सशक्त पुलिस बल और चौकीदारों के साथ दरोगा गुप्तेश्वर सिंह वहा खड़ा हो गया और हरिचरन सिंह को रोकने के लिये भेजा। हरिचरन सिंह स्वयंसेवकों से मिलने के बाद दरोगा के पास जाकर बताया कि भीड़ को रोकना सम्भव नही है और उन्होंने दरोगा को विश्वास दिलाया।[13] 5 फरवरी, 1922 को काफी संख्या में स्वयं सेवक चौरी चौरा बाजार में एकत्र होकर थाने की ओर बढ़ने लगे थे। थाने पहुचने तक इनकी संख्या तीन हजार तक हो गयी थी।

भीड़ पूरी तरह उत्तेजित थी जिसने थाने को घेर लिया।[14] ऐसी स्थिति में पुलिस ने हवा में गोली चलाकर भीड़ को तितर बितर करना चाहा जिसके प्रतिरोध में उत्तेजित भीड़ ने थाने पर पथराव किया इस पर पुलिस ने सीधी गोली चलानी प्रारम्भ कर दी जिसमें सबसे पहले भगवान अहीर शहीद हो गयैं धीरे–धीरे पुलिस की गोली से मरने वाले सत्याग्रहियों की संख्या 26 हो गयी किन्तु ब्रिटिश सरकार ने केवल तीन सत्याग्रहियों के मरने की पुष्टि की थी।[15] यद्यपि सत्याग्रहियों की आक्रोशित भीड़ द्वारा भी पथराव किया जा रहा था किन्तु जब भीड़ को यह आभास हो गया कि पुलिस की गोली समाप्त हो गयी है तब सत्याग्रहियों ने थाने पर हमला बोल दिया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने थाने के अन्दर जाकर फाटक बंद कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने थाने के दरवाजे बंद कर आग लगा दिया इस अग्नि कांड में थानेदार की गर्भवती पत्नी को छोड़कर थानेदार सहित 23 पुलिसकर्मी जल कर मर गये।[16] भीड़ द्वारा की गयी यह घटना कोई सुनियोजित नही थी, बल्कि पुलिस के प्रति उनके

स्वाभाविक रोष का परिणाम थी। इस घटना ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के मूल स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।

गांधी जी ने एक लेख में लिखा कि चौरी चौरा की दुर्घटना ने मुझे जगा दिया।[17] चौरी चौरा विद्रोह के बाद असहयोग आन्दोलन के स्थगन से गांधी जी की घोर निन्दा होने लगी, परन्तु गांधी जी अपने निर्णय पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि मैं हर प्रकार का दमन, उत्पीड़न सह सकता हूँ अपने मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ लेकिन आन्दोलन हिंसक हो जाये यह नही सह सकता। 16 फरवरी 1922 को यंग इण्डिया में ''चौरी चौरा का अपराध'' शीर्षक से एक लेख भी लिया। 11 और 12 फरवरी 1922 को बारदौली के कांग्रेस बैठक में चौरी चौरा के हिंसात्मक स्वरूप की चर्चा हुई। आने वाले 25 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिये अनुमोदन कर दिया गया। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर अनेक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दिया कि जब हमारा संघर्ष मजबूत हो रहा था, ऐसे में आंदोलन रोक दिया गया।[18] सुभाष चन्द्र बोस ने भी इस घटना को दुर्भाग्य से कम नहीं बताया। चौरी चौरा की घटना के बाद ब्रिटिश शासन की अमानवीय कार्यवाही एवं भीषण दमन चक्र में लगभग 3 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। 232 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें 228 व्यक्तियों के खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमें के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गयी। एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया। सेशन कोर्ट ने 172 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनायी तथा 56 लोगों को काले पानी की सजा दी गयी। इस काण्ड ने देश के कोने–कोने पर प्रभाव डाला।[19]

चौरी चौरा काण्ड में समाज के हर वर्ग अर्थात् कृषक, शहरी, गरीब, बच्चे, व्यवसायी व्यापारी, कर्मचारी पुरूष, महिला आदि सभी लोगों का सक्रिय सहयोग था, जो महलों के लोग नही कर सके उसे झोपड़ी वालों ने कर दिया इसमें 60 गांव के लोग सम्मिलित थे। इस विद्रोह में दरोगा के साथ 23 पुलिस कर्मियों[20] की मृत्यु ने ब्रिटिश हुकुमत की जड़े हिला दिया। चौरी चौरा घटना के बाद गोरखपुर परिक्षेत्र में जिन महान नेताओं का प्रभाव था उसमें बाबा राघव दास प्रमुख थे। बाबा राघव दास ने अंग्रेजों द्वारा चौरी चौरा की निरोह जनता पर किये गये अमानुषिक व्यवहार का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया और 11 जुलाई 1922 को रिहा किया गया।

चौरी चौरा काण्ड के बाद आंदोलन अचानक स्थगित कर दिये जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अनेक प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने जिलेवार दौरा किया। इसी क्रम में सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली, वी0 अम्मान जैसे प्रख्यात नेताओं का गोरखपुर दौर हुआ, जिसमें गोरखपुर के गांधी कहे जानेवाले बाबा राघव दास के नेतृत्व में लगभग 8 हजार लोगों की एक सभा सम्पन्न हुयी। यहां पर नेताओं ने कौसिंल बहिष्कार पर बल दिया।[21] इसी क्रम में पूर्वांचल के राजनैतिक सम्मेलन में अली बन्धु मोहम्मद अली, शौकत अली ने भी अपने भाषण में बहिष्कार का समर्थन किया।[22] बाबा राघवदास जेल से रिहा होने के बाद सभी सत्याग्रहियों के घर जाकर उनका समाचार पूछा और सभी अभियुक्तों से मुलाकात कर उन्हें साहस और धैर्य से रहने की सलाह दी, अब उन्होंने अपना लक्ष्य अभियुक्तों को सजा से बरी होने के लिये बनाया।[23] उन्होंने 225 सत्याग्रहियों की पैरवी के लिये एक पिता के रूप में भूमिका अदा किया और गोरखपुर के प्रसिद्ध अधिवक्ता निहार कुमार सन्याल के माध्यम से वकालत की पैरवी करवायी परन्तु सरकार ने इन अभियुक्तों को निर्दोष मानने से इनकार कर दिया दूसरी तरफ डी0आई0जी0 सैण्ड ने सरकार की तरफ से इस काण्ड की जांच करके रिपोर्ट सौपी, जिसमें सेशन कोर्ट ने 56 व्यक्तियों को कारवास तथा काले पानी की सजा सुनायी।

सेशन कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ बाबा राघव दास ने आंदोलन छेड़ दिया, वे इलाहाबाद जाकर पंडित मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय तथा गोकुल दास से मुलाकात कर चौरी चौरा की घटना से अवगत कराया। बाबा राघव दास के ही प्रयास से पंडित मदन मोहन मालवीय इतना प्रभावित हुये कि वे पुनः वकालत करने के लिये तैयार हो गये जिस वकालत को वे आंदोलन के दौरान छोड़ चुके थे। अदालत में उनका सहयोग गोकुल दास तथा के0एन0 मालवीय ने किया।[24] 23 अप्रैल 1923 को अपील संख्या–51 में अब्दुला बनाम ब्रिटिश सरकार के नाम से केस चला। ब्रिटिश न्यायाधीश ग्रीस उमीर और टी0सी0 पिगट ने 30 अप्रैल 1923 को 100 पृष्ठों का फैसला सुनाया जिसमें 19 व्यक्तियों की मौत की सजा तथा शेष को 2 से 8 वर्ष तक उम्र कैद के साथ कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। 38 व्यक्तियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बाबा राघव दास के अथक प्रयास तथा पंडित मदन मोहन मालवीय के कुशल बहस के बाद भी 172 व्यक्तियों को सजा सुनायी गयी। अन्ततः चौरी चौरा के 19 वीर सपूतों को 2 जुलाई 1923 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।

फांसी की सजा पाये शहीद सत्याग्रहियों के नाम निम्न है। 1–अब्दुल्ला उफ़ सुकई पुत्र श्री गोबर जुलाहा ग्राम–राजधानी पोस्ट– चौरी चौरा। 2– भगवान पुत्र रामनाथ अहीर ग्राम पोस्ट–चौरी चौरा 3–विक्रम पुत्र शिवचरन अहीर ग्राम–डुमरी खुर्द पोस्ट–चौरी चौरा 4–दुधई पुत्र रामसमुझावन ग्राम–पोस्ट–चौरी चौरा 5– कालीचरण पुत्र निर्गुन कहार ग्राम–पोस्ट–चौरी चौरा 6–राम रूप पुत्र रामटहल ग्राम–मुण्डेरा बाजार पोस्ट–चौरी चौरा 7–रूदाली पुत्र रामटहल ग्राम–मुण्डेरा बाजार पोस्ट– चौरी चौरा 8–सहदेव पुत्र जाटू उफ़ मिठ्ठू कहार ग्राम–सहदेवा पोस्ट–चौरी चौरा 9–सम्पत्ति पुत्र जिउत चमार ग्राम–चौरी रकबा पोस्ट–चौरी चौरा 10–श्यामसुन्दर मिश्रा पुत्र रामनारायण मिश्रा, ग्राम–रामनगर बघई पोस्ट–चौरी चौरा। 11–सीताराम पुत्र रामफल ग्राम–वाले पोस्ट–चौरी चौरा 12–नजर अली पुत्र हुसैन ग्राम–डुमरी पोस्ट–चौरी चौरा 13– रघुवीर पुत्र जाट सोनार, ग्राम–वाले पोस्ट–चौरी चौरा 14–रामलगन पुत्र

शिवटहल लोहार ग्राम–पोखर भिण्डा पोस्ट–चौरी चौरा 15–लौटू पुत्र शिवनन्दन कहार, ग्राम–बाले पोस्ट–चौरी चौरा 16–महादेव पुत्र कुन्ज बिहारी ग्राम–भावुपुर पोस्ट–चौरी चौरा 17–मेघू पुत्र बिहारी पुत्र जानकी तिवारी ग्राम–मोहिया पोस्ट–चौरी चौरा 18–सम्पत पुत्र मोहन अहीर 19–लाल मोहम्मद।

चौरी चौरा काण्ड में इन अमरी शहीदों को खादी के कफन में अन्तिम संस्कार किया गया किन्तु आज भी इन शहीदों को किस–किस जिले में फांसी दी गयी यह रहस्य बना है।[25] चौरी चौरा काण्ड के शहीदों को फांसी दिये जाने के बाद बाबा राघव दास ने अमर शहीद सत्याग्रहियों की स्मृति में चौरी चौरा में सभा किया। घण्टों भाषण के बाद वही छिपी हुई सरकारी पुलिस ने इस सूचना को सरकार के पास भेजा अतः बाबा राघव दास को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की घटना के निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये हिसांत्मक मार्ग का रास्ता चुनने वालों में गोरखपुर का प्रमुख स्थान था।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां बाबा राघव दास के वक्तव्य का प्रभाव न पड़ा हो।[26] इस घटना वाद, हिन्दू–मुस्लिम एकता तथा राष्ट्र भावना को बल मिला।[27] ऐसा लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह वर्ग जो असहयोग आंदोलन की नीतियों से दबा था अब निकल कर एक नये उद्देश्य के साथ आजादी के लिये आगे बढ़ चला। इसी वर्ग में भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्लिम जैसे नेता थे। गोरखपुर परिक्षेत्र में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में श्री विद्याधर शाही, बैजनाथ सिंह, हृदय नारायण लाल, रामकृष्ण दूबे, बालकृष्ण शर्मा, रमाशंकर सिंह, पंडित अवधराज त्रिपाठी और लक्ष्मी नारायण पाण्डेय थे। चौरी चौरा की घटना के बाद सम्पूर्ण देश में अंग्रेजों की हिसांत्मक गतिविधियां भी प्रारम्भ हुयी, फिर भी इस घटना के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक राजनीतिक सम्मेलन और सभायें हुयी इसमें बाबा राघव दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यही कारण था कि इस घटना के बाद भी अंग्रेजों के अत्याचार उनके अमानवीय कृत्य इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों का मनोबल नही गिरा सके, जिसका प्रथम आगामी आन्दोलनों में और अधिक उत्साह के साथ हर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका दिखायी दिया। चौरी चौरी ने हम सभी को दिखा दिया कि जब कानून व्यवस्था की नीव कमजोर पड़ जायेगी तो परिणाम यही होगा, भीड़ के मस्तिष्क में विद्रोह होने का यह सटीक उदाहरण है।[28]

अध्धयन का उद्देश्य

शोध पत्र का उद्देश्य चौरी चौरा के इस विद्रोह/काण्ड के विषय में देश समाज को अवगत कराना है कि किस प्रकार एक स्थानीय विद्रोह समय पर समाधान न होने पर राष्ट्रीय स्वरूप ले सकता है। क्योंकि इस विद्रोह में एक तरफ स्थानीय जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण है तो दूसरी ओर महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी स्वयं गोरखपुर आकर असहयोग कार्यक्रम के लिए उत्साहित किये थे जिसका यह परिणाम था और इस विद्रोह को आधार बनाकर असहयोग आन्दोलन को रोक दिया गया किन्तु इस घटना और उससे सम्बन्धित लोगों से जो स्थान राष्ट्रीय स्तर पर मिलना चाहिए वह नही मिल सका।

अंत टिप्पणी

1. *एवीडेन्स फार प्रासिक्यूशन पृ0–78 हरिहर प्रसाद की गवाही।*
2. *होम डिपार्टमेन्ट, जूडिसियल सेक्सन फाइल नं0–362–23/1923 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली।*
3. *एवीडेन्स फार प्रासिक्यूशन पृ0–861 लाल मुहम्मद की गवाही।*
   डा0 उपेन्द्र प्रसाद : बाबा राघवदास जन्मशती स्मारिका पृ0–20
4. *गोरखपुर गजेटियर टवस ग्ग्प्प् पृ0–33*
5. *रविवार, 27 नवम्बर 1981 : राममूर्ति चौरी चौरा 1922 प्रथम संस्करण पृ0–14*
6. *एविडेंस फार प्रॉक्सीक्यूसन पृ0–5 दिनांक 23.06.1922 शिकारी की गवाही।*
7. *जजमेंट आफ हाइकोर्ट पैरा–91*
8. *जजमेंट आफ हाइकोर्ट पैरा–10*
9. *अभ्युदय फरवरी 11,1922*
10. *इविडेंस फार प्राक्सीक्यूसन पृ0–9*
11. *रविवार, 27 सितम्बर 1981 पृ0–22*
12. *द लीडर फरवरी 12, 1922 उ0प्र0 शासकीय अभिलेखागार लखनऊ*
13. *जजमेंट आफ हाइकोर्ट पैरा 29*
14. *होम पोलिटिकल फाइल संख्या–563/1922 गोरखपुर कमिश्नर रिपोर्ट 7 फरवरी 19227*
15. *लीडर 9 फरवरी 1922*
16. *होम पोलीटिकल फाइल संख्या–563/1922 गोरखपुर कमिश्नर रिपोर्ट 7 फरवरी 1922*
17. *गांधी वाड्मय पृ0–409*
18. *नेहरू जवाहरलाल नेहरू : एन आटोबायोग्राफी पृ0–81*
19. *मजमूदार आर0सी0 : हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ द इण्डिया पिपुल खण्ड–11 पृ0–350*
20. *स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर देवरिया का योगदान पृ0–12 (राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ।*
21. *संयुक्त प्रांत के अभिलेख 1922 का द्वितीयावधि पैरा–93*
22. *आज 26 फरवरी 1924 पृ0–5*
23. *डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद : बाबा राघव दास की जन्मशती स्मारिका पृ0–20*
24. *वही पृ0–20*
25. *दैनिक जागरण 15 अगस्त 2001*
26. *सिंह ठाकुर प्रसाद : स्वाधीनता संग्राम के सैनिक पृ0–23*
27. *आज 6,7,8 नवम्बर 1924*
28. *उत्तर प्रदेश शासकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थित फाइल सं0–1483/1935, 11 जनवरी, 1939*